

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श0) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अक्तूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 19 **अक्तूबर 2023**

अधिसूचना संख्या 19/2023-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 352, दिनांक 19 अक्तूबर 2023--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 547, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-:

- " केंद्र सरकार [रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को छोड़कर], राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण ।"
 - 2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

(सं0 पटना 869)

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17)19)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

19 अक्तूबर 2023

एस० ओ० 352, दिनांक 19 अक्तूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—17) 19)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 19th October 2023 Notification No. 19/2023- State Tax (Rate)

S.O. 352, Dated 19th October 2023--In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No. 4/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 547, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 6, in column 4, for the entry, the following entry may be substituted, namely: -

"Central Government [excluding Ministry of Railways (Indian Railways)], State Government, Union territory or a local authority."

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17) 19)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी0टी0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in